# ग्राम पंचायत पनयाली, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.14 से 31.03.17

## भाग- एक

**1 (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पनयाली, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-**

**प्रधान :-**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति प्रोमिला देवी | 01.04.14 से 30.11.14 |
| 2 | श्री बाबू राम (उप-प्रधान) | 01.12.14 से 22.01.6 |
| 3 | श्रीमति वीना बनयाल | 23.01.16 से लगातार |

**सचिव :-**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री सतीश पाल | 01.04.14 से 29.07.14 |
| 2 | श्री देव राज | 30.07.14 से 04.05.16 |
| 3 | श्री राज कुमार | 05.05.16 से 26.07.16 |
| 2 | श्रीमति शीखा देवी | 27.07.16 से 31.03.17 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत पनयाली, विकास खण्ड नादौन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना | - |
| 2 | 4.2 | 13वें वित्त आयोग से संभावित अनियमित भुगतान/गबन | 0.82 |
| 3 | 6 | अनुदान का उपयोग न करना | 19.13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 1.68 |
| 5 | 8 | क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना | 8.29 |
| 6 | 9 | व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे | 1.09 |

## भाग- दो

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत पनयाली, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.01.18 से 22.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2014-15 | 03/2015 | 09/2014 |
| 2015-16 | 05/2015 | 08/2015 |
| 2016-17 | 08/2016 | 07/2016 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत पनयाली, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 22.01.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पन्याली अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव पंचायत द्वारा उक्त राशि को ड्राफ्ट संख्या 230618 (KCCB) दिनांक 23.01.18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

**4 वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत पनयाली, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

**(i) स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत पनयाली, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 95211 | 47227 | 142438 | 67760 | 74678 |
| 2015-16 | 74678 | 93241 | 167919 | 47734 | 120185 |
| 2016-17 | 120185 | 56664 | 176849 | 19479 | 157370 |

**(ii) अनुदान :-** ग्राम पंचायत पनयाली, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 775465 | 1681597 | 2457062 | 1506145 | 950917 |
| 2015-16 | 950917 | 1740409 | 2691326 | 1301962 | 1389364 |
| 2016-17 | 1389364 | 2985157 | 4374521 | 2461577 | 1912944 |

**स्व स्त्रौत :-**

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹157370

**अनुदान :-**

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष :₹1912944

**स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में**

**दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2070314**

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2007151.34

| बैंक खाता संख्या | राशि |
|---|---|
| GEN-A, KCCB -3475 | 157370 |
| 13th & 14th FC, PNB -1630 | 960237.34 |
| Water Shed, KCCB-3678 | 25376 |
| Water Shed, KCCB-3667 | 33551 |
| NBA, KCCB-56101 | 5033 |
| IAY, KCCB-34526 | 100 |
| GEN-B, KCCB – 3317 | 825484 |
| MNREGA, KCCB -3362 | 0 |
| **कुल राशि** | **₹2007151.34** |

**Bank Reconciliation Statement**

| Particulars | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Balance a per Cash Book as on 31.03.17 | 2070314 | - |
| Amount drawn from bank but not taken in Cash Book (13th FC) | - | 81970 |
| Ch. No. 688941 Dated 13.06.16 ₹20000/- | | |
| Ch. No. 688942 Dated 21.06.16 ₹22000/- | | |
| Ch. No. 688944 Dated 13.07.16 ₹18000/- | | |
| Ch. No. 688945 Dated 19.07.16 ₹4656/- | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ch. No. 688946 Dated 25.07.16 ₹17314/- | | | |
| Amount received on 18.06.16 but not taken in Cash Book (13th FC) | | 18807 | |
| Balance as per Pass Book | | - | **2007151** |
| | **Total** | **2089121** | **2089121** |

### 4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान करने के साथ-साथ पैरा 4 में तैयार की गई बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई आय व व्यय की राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें।

### 4.2 ₹0.82 लाख का संभावित अनियमित भुगतान/गबन :-

जांच में पाया कि 13वें वित्त आयोग से पैरा 4 में उल्लेखित बैंक समाधान विवरणी अनुसार ₹81970 आहारित की गई थी लेकिन इन भुगतानों का इन्द्राज रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं न ही उक्त भुगतान से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए गये, जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होते हैं। अतः उक्त भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹81970 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

**4.3** जांच में पाया कि 13वें वित्त आयोग की रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 66 से 68 तक खाली रखे गए थे एवं माह 06/16 व 07/16 में आय-व्यय की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नियमों के अनुसार नहीं की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं समस्त आय व्यय की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें।

### 5 शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹0.02 लाख की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 02/2017 में निम्न विवरणानुसार ₹2025 पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूली की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

| विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या | नाम | विवाह की दिनांक | पंजीकरण की दिनांक | वसूली योग्य पंजीकरण राशि |
|---|---|---|---|---|
| 26 (2016) | श्री राहुल | 19.10.16 | 03.11.16 | 200/- |
| 27 | श्री राकेश | 02.11.16 | 10.11.16 | 200/- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | श्री करम चंद | 19.10.16 | 10.11.16 | 200/- |
| 29 | श्री अश्वनी कुमार (BPL) | 03.11.16 | 17.11.16 | 25/- |
| 30 | श्री प्रशान्त | 16.11.16 | 22.11.16 | 200/- |
| 31 | श्री सुनील कुमार | 30.11.16 | 05.12.16 | 200/- |
| 35 | श्री कृष्ण कुमार | 08.12.16 | 21.12.16 | 200/- |
| 36 | श्री अमित कुमार | 09.12.16 | 24.12.16 | 200/- |
| 1 (2017) | श्री सन्नी कुमार | 03.02.17 | 03.02.17 | 200/- |
| 2 | श्री दीपक कुमार | 02.02.17 | 16.02.17 | 200/- |
| 3 | श्री सन्नी कुमार | 14.02.17 | 01.03.17 | 200/- |
| | | | **कम वसूली गई राशि** | **₹2025.00** |

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनांक 22.01.18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पन्याली से अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 23.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹2025 की वसूली रसीद संख्या 57810 से 57820 दिनांक 23.01.18 द्वारा करके बैंक खाता संख्या KCCB-3475 में जमा कर दी गई थी, जिसकी अंकेक्षण द्वारा पुष्टि भी कर ली गई। अतः भविष्य में शत-प्रतिशत वसूलियाँ करना सुनिश्चित करें।

**6 अनुदान ₹19.13 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1912944 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

**7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें ( निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना ) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹168430 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8 ₹ 8.29 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹829030 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

## 9 ₹1.09 लाख के व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹109130 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

| क्र.सं. | वाउचर संख्या / दिनांक | रोकड़ वही पृष्ठ | राशि |
|---|---|---|---|
| **1.** | Vr. No. 1 Dated 25.04.16, | 13वें वित्त आयोग, पृष्ठ-64 | 850/- |
| **2.** | Vr. No. 2 Dated 26.05.16, | 13वें वित्त आयोग, पृष्ठ-65 | 1095/- |
| **3.** | Vr. No. 3 Dated 26.05.16, | 13वें वित्त आयोग, पृष्ठ-65 | 16500/- |
| **4.** | Vr. No. 10 Dated 05.07.16, | सामान्य रोकड़ वही, पृष्ठ-108 | 28625/- |
| **5.** | Vr. No. 11 Dated 29.07.16, Bill No. 391 M/s Raja Furniture | सामान्य रोकड़ वही, | 13000/- |
| **6.** | Vr. No. 6 Dated 19.07.16, | सामान्य रोकड़ वही, | 18000/- |
| **7.** | Vr. No. - Dated 04.07.16, | सामान्य रोकड़ वही, | 10000/- |
| **8.** | Vr. No. - Dated 25.07.16, | सामान्य रोकड़ वही, | 21060/- |
| | **कुल राशि** | | **₹109130** |

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनांक 22.01.18 द्वारा उक्त बिल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 23.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वर्णित वाउचर उपलब्ध नहीं हैं। अतः शीघ्र बांछित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

## 10 हिम ऊर्जा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना सोलर लाइटों का क्रय करना:-

13 वें वित्त आयोग के वाउचर संख्या 29 दिनांक 27.03.17 की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा बिल संख्या 319 दिनांक 19.03.17 में मैसर्ज सोलट्रोन एनर्जी से 22 सोलर लाइटों का क्रय ₹18300 प्रति लाइट की दर से कुल ₹402600 में न्यूनतम निविदा के आधार पर किया गया था,

लेकिन उक्त क्रय हेतु हिम ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था एवं न ही लाइट की specification निर्धारित की गई थी । अतः विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना एवं specification निर्धारित किये बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें ।

**11 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार सावधि जमा योजना में निवेश न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अधिशेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

**12 खाता बहियाँ तैयार न करना :-**

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी । जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी । अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें ।

**13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।

**14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

**15 लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

**16 निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)54/2018 खण्ड–1–4419–4422 दिनांक 19.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत पन्याली विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
( ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881